U;k;ky; fMohtuy dfe'uj] tks/kiqj ,oa inu Hkw&vfHkys[k funs'kd
ihBklhu vf/kdkjh % ch- ,y- dksBkjh] vkbZ-,-,l

राजस्व द्वितीय अपील संख्या 51/2019

vihykUV बनाम **jLiksMsUVl**

अपीलान्ट:

1. श्रीमती रूकमा पत्नी अमरलाल
2. श्रीमती मन्जू पत्नी अशोक कुमार
3. शंकरलाल पुत्र गिरधारीलाल
4. कन्हैयालाल पुत्र गिरधारीलाल
5. श्रीमती बरजू बेवा गिरधारीलाल
   सुथार निवासीगण– जालोर।
6. लकाराम पुत्र हरीराम गर्ग
7. अमित कुमार पुत्र हरीराम
   गर्ग निवासीगण– रेवत,जालोर।

रेस्पोडेन्टस:

1. राजस्थान सरकार जरिये
   तहसीलदार जालोर।
2. राजाराम आंजणा शिक्षण संस्थान
   जालोर जरिये श्री 1008 दयाराम
   महाराज निवासी– शिकारपुरा
   तहसील जालोर।
3. भीयाराम पुत्र देवाराम चौधरी,
   निवासी– रेवडा कला हाल–
   मादडी, आहोर।

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 09.01.2019 जो उपखण्ड अधिकारी, जालोर ने राजस्व प्रकरण संख्या 98/2017 अनवान लकाराम वगैराह बनाम राज्य वगैराह में पारित किया गया।

उपस्थिती:––

1. श्री परमवीरसिंह चम्पावत, अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश चौधरी, राज0 अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. श्री धनपत चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2. 3 की ओर से।

fu.kZ;

fnukad% 27 uoEcj] 2019

1. अपीलान्ट के द्वारा यह प्रथम अपील उपखण्ड अधिकारी, जालोर के राजस्व प्रकरण संख्या 98/2017 अनवान लकाराम वगैराह बनाम राज्य वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 09.01.2019 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत

रेकर्ड दुरूस्ती का एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि ग्राम जालोर बी के पुराना खसरा संख्या 1018 रकबा 12 बीघा आई हुई जिसमें राजाराम शिक्षण संस्थान जालोर को 04 बीघा भूमि को भूमि के तत्कालीन खातेदारान में से शंकरलाल, कन्हैया लाल वगैराह ने बेचान की थी जो ख0सं0 1018 का पूर्वी हिस्सा ख0सं0 1016 की तरफ का ख0सं0 1016 से लगता हुआ बेचान किया गया था और उसी अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम की गई। खसरा संख्या 1018 के नये खसरा संख्या 5266, 5267 बने। ख0सं0 5266 में तरमिम कर ख0सं0 6387/5266 राजाराम आंजणा शिक्षण संस्थान, जालोर के नाम दर्ज हुआ। तत्पश्चात माफिक तरमीम ख0सं0 6387/5266 बनाया गया।

3. अपीलान्ट के अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि राजाराम आंजणा शिक्षण संस्थान ने मौके पर कब्जा करते समय भूलवश ख0सं0 6387/5266 जो तरमिम किया गया था, की जगह कब्जा नहीं कर पश्चिम दिशा की तरफ, ख0सं0 5266 में लगभग 0.32 हैक्टर पर कब्जा कर लिया और खसख्या संख्या 6387/5266 की भूमि 0.32 हैक्टर पुरी खाली छोड दी जो आज भी खातेदारान अपीलान्टस के कब्जे में है। इस प्रकार की हुई भूलवश त्रुटि को वास्तविक कब्जे अनुसार रेकर्ड दुरूस्ती से सही किया जा सकता है अतः प्रार्थना पत्र बाबत रेकर्ड दुरूस्ती का स्वीकार किया जावे एवं कब्जा अनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्ती की जावें। अधिनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के उपरान्त अपीलाधीन आदेश के द्वारा दिनांक 9.1.2019 को अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र यह अंकित करते हुए खारिज कर दिया कि मामला खातेदारी हको की घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती का पाया जाता है। धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 क्लेरिकल व माईनर पेन मिस्टेक से हुई भूल से राजस्व रेकर्ड में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को पक्षकारान की सहमति से दुरूस्त किया जा सकता है। पक्षकारान को सक्षम न्यायालय में खातेदारी हको की घोषणा का वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिये। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, जालोर के उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलान्टस ने यह अपील प्रस्तुत की है।

4. हमने दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित अभिभाषकों के द्वारा की गई बहस को सुना। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते

हुए यह भी कथन किया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र पर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा तहसीलदार जालोर से मौका जॉच करवाई गई जिसमें भी मौका व रेकर्ड की स्थिति की राजस्व रेकर्ड नक्शे में खातेदारान के खाते में दर्ज कर शुद्धि करना योग्य बताया। उसके उपरान्त भी श्रीमान उपखण्ड अधिकारी के द्वारा अपीलान्टस का आवेदन खारिज कर दिया जबकि वह स्वीकार करने योग्य था।

5. अपीलान्ट के अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि धारा 136 आरएलआर एक्ट के तहत स्पष्ट है कि यदि राजस्व अधिकारी द्वारा किसी भी रजिस्टर में निरीक्षण के दौरान अधिकार अभिलेख में गलती पाये जाने पर उसे शुद्ध किया जायेगा। प्रस्तुत किये गये प्रकरण में अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्टस की खातेदारी व कब्जा अनुसार तरमीम नहीं की गई थी जो स्पष्टतया दुरूस्ती किये जाने योग्य थी, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध अवधारणा करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट उक्त वादग्रस्त भूमि की किसी प्रकार से खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं करवाना चाहते थे, मात्र अपनी खातेदारी व कब्जाशुदा भूमि का दर्ज शुदा खातेदारी व कब्जा अनुसार तरमीम चाहते थे, अपीलार्थीगण वादग्रस्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार है जिसका कोई विवाद ही नहीं है और न ही अपीलान्टस के द्वारा अपने खातेदारी अधिकारों से ज्यादा भूमि चाही गई है। अतः अपीलान्टस की अपील को स्वीकार किया जावे एवं अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए तहसीलदार जालोर की मौका व कब्जे बाबत प्रस्तुत की गई रिपोर्ट अनुसार राजस्व रेकर्ड में तरमीम दुरूस्ती करने के आदेश प्रदान किया जावें।

6. प्रत्युतर में रेस्पोडेन्टस संख्या 2 व 3 की ओर से उपस्थित अभिभाषक ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वो विधि अनुकूल उचित है क्योंकि अपीलान्टस के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार वादग्रस्त खसरान भूमि के रेकर्ड में तरमीम दुरूस्ती का नहीं बनता था ऐसे में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्टस के उक्त धारा 136 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया गया था।

7. रेस्पोडेन्टस संख्या 2 व 3 के अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि उनके द्वारा ततकालीन खातेदारान से भूमि खरीद करने के उपरान्त मौके पर तरमीम अनुसार राजाराम आंजणा शिक्षण संस्थान का निर्माण किया और किये गये बेचान के अनुसार ही राजस्व रेकर्ड में व बेचान दस्तावेज में दर्ज पडौस के अनुसार नक्शे में तरमीम करवा ली थी, और जिस जगह उन्हें कब्जा दिया गया वहॉ पर वह आज भी काबिज है। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्टस के द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि में से जो हिस्सा खरीद किया गया था उसका नगरपालिका जालोर से नियमानुसार अकृषि प्रयोजनार्थ नियमन भी करवा लिया गया तथा राजस्व रेकर्ड में उक्त वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि न होकर अन्यत्र अकृषि प्रयोजनार्थ शिक्षण संस्थान के रूप में दर्ज हो गई। ऐसे में उक्त प्रकरण धारा 136 के तहत बनता ही नहीं था क्योंकि धारा 136 के तहत कृषि भूमि के सम्बन्ध में ही वांछित अनुतोष प्राप्त करने की कार्यवाही सम्पादित की जा सकती है।

8. रेस्पोडेन्टस संख्या 2 व 3 के अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि अपीलान्टस उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये वादग्रस्त भूमि की तरमीम शुद्धि जिस स्थान पर करवाना चाहता था, वहॉ पर उनका शिक्षण संस्थान संचालित है। ऐसे में यह कतई सम्भव नहीं हो सकता है। ऐसे में अपीलान्टस का प्रार्थना पत्र खारिज करने का जो अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह नियमानुसार खारिज किया गया है अतः अपीलान्टस की अपील को खारिज किया जावें।

9- हमने दोनों पक्षों की ओर से की गई बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत अभिलेख एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे यह पाया जाता है कि अपीलान्टस के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम जालोर बी के पुराना खसरा संख्या 1018 रकबा 12 बीघा में संस्थित राजाराम शिक्षण संस्थान जालोर को 04 बीघा भूमि बेचान के पश्चात राजाराम आंजणा शिक्षण संस्थान के पक्ष में ख0सं0 6387/5266 जो तरमीम किया गया था, वो उस जगह कब्जा नहीं लिये जाने तथा पश्चिम दिशा की तरफ, ख0सं0 5266 में लगभग 0.32 हैक्टर पर कब्जा कर लिये जाने और खसरा संख्या 6387/5266 की भूमि 0.32 हैक्टर पुरी खाली छोड दिये जाने जोकि अपीलान्टस के कब्जे में है, उक्त भूमि के कब्जे अनुसार तरमीम नहीं होने बाबत उकत

भूलवश त्रुटि को वास्तविक कब्जे अनुसार रेकर्ड दुरूस्ती करवाने हेतु राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत रेकर्ड दुरूस्ती का एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि मामला खातेदारी हको की घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती का पाया जाता है तथा धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 में क्लेरिकल व माईनर पेन मिस्टेक से हुई भूल को राजस्व रेकर्ड में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को पक्षकारान की सहमति से दुरूस्त किया जा सकता है।

10- राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत केवल अधिकार अभिलेखों में हुई लिपिकिय त्रुटि को ही पक्षकारान की सहमति से दुरूस्त करने का प्रावधान है। राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 इस प्रकार से हैः––

> ''(गलतियों का शुद्धिकरण– भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गललियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हें शुद्ध करवा सकेगा, जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हें कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें।
>
> परन्तु जब किस राजस्व अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान किसी भी अधिकार अभिलेख में किसी भी गलती को नोटिस किया जाये तो कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जावेगी जब तक कि पक्षकारों को हेतुक दर्शित करने का नोटिस नहीं दे दिया गया हों।)''

प्रस्तुत प्रकरण में खातेदारों द्वारा स्वयं की खातेदारी भूमि में काबिज न होकर अन्य खातेदारी भूमि में काबिज होना बताते हुए मौके पर कब्जे के अनुसार राजस्व नक्शें में संशोधन चाहा है जो राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 की ताईद में नहीं आता है। इस प्रकार उल्लेखित समस्त तथ्यों पर गहनतापूर्वक विचार करने के उपरान्त हमारा विनम्र मत यह है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

11. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, जालोर के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.01.2019 बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 27.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

¼ch0 ,y0 dkBkjh½
fMohtuy dfe'kuj]